शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 05-10-2020, वर्ग - BA-III

(2) किसानो को ~~विशेष~~ विशेष सहायता - 1933 के 'प्रबंध - साख अधिनियम' के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से किसानो को अधिक साख उपलब्ध कराई गई। 1933 के 'आपात प्रबंध बंधक अधिनियम' के अन्तर्गत कृषि ऋणता के निवारण हेतु केन्द्रीय भूमि बैंको द्वारा किसानो को सस्ती ब्याज दरो पर दीर्घकालीन साख उपलब्ध करायी गई। 1933 के 'गृह-स्वामी अधिनियम' के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया गया, जिनके मकान ~~साहू~~ साहूकारो के पास गिरवी थे। इन समस्त अधिनियमों के परिपालन का भार 'कृषि समायोजन प्रशासन' को सौंपा गया। प्रतिबंधात्मक नीतियों के माध्यम से गेहूँ और कपास की उपज घटाई गई। समस्या के स्थाई समाधान के विचार से कृषि पदार्थों का निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया गया। आयात - निर्यात के वित्त व्यवस्था हेतु —

'आयात निर्यात बैंक' की स्थापना की गई।
934 में प्रशुल्क अधिनियम को संशोधित
किया गया। इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति को
दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संधि करने
तथा 50% आयात शुल्क घटाने का अधिकार
दिया गया।

③ मिट्टी-संरक्षण, सट्टा-नियंत्रण और फसल-
बीमा — भूमि को उर्वरा शक्ति बनाए रखने
के लिए 1936 में 'मिट्टी-संरक्षण अधिनियम'
पारित किया गया। इसके अन्तर्गत भूमि
की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किसानों
को आर्थिक सहायता दी गई। कृषि उपज
पर सट्टेबाजी के नियंत्रण हेतु 1936 में 'वस्तु
विनिमय अधिनियम' पारित किया गया।
प्रमुख फसलों के सम्बन्ध में बीमा योजना
चालू करने के लिए 1938 में "फसल
बीमा निगम' की स्थापना की गई।
1938 के उक्त अधिनियम के अन्तर्गत
यह व्यवस्था की गई कि यदि चावल

गेहूँ और तम्बाकू के दो तिहाई उत्पादन चाहिए। तब इनके उत्पादन क्षेत्र में भी की जायेगी तथा किसानों के निर्धारित मूल्य एवं बाजार मूल्य का अन्तर सहायता के रूप में दिया जायेगा।

इन समस्त उपायों से 1933, 1934, और 1935 के दौरान कृषि मूल्यों में क्रमशः 70%, 90% तथा 108% की वृद्धि हुई।

द्वितीय महायुद्ध तथा उसके बाद

अमेरिकी कृषि → द्वितीय महायुद्ध काल में कृषि वस्तुओं के लिए मित्र-राष्ट्रों (ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस) की माँग बढ़ जाने के कारण अमेरिकी सरकार ने उत्पादन-वृद्धि हेतु विभिन्न प्रयास किए। किसानों को तरह-तरह की सहायता दी गई। फलतः कपास और गन्ने को छोड़कर, समस्त कृषि पदार्थों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ध्यान

का उत्पादन 36% बढ़ गया। मित्र राष्ट्र को अधिक निर्यात के कारण अमेरिका में खाद्यान्न की न्यूनता हो गई। अतः सरकार को राशनिंग की व्यवस्था लागू करना पड़ा। युद्ध के समाप्ति पर राशनिंग व्यवस्था हटा दी गई, यद्यपि इस कार्य के लिए खाद्य प्रशासन कार्यालय 1946 तक बना रहा।

प्रथम महायुद्ध की तरह, द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति का अमेरिकी कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव उपस्थित नहीं हुआ। यूरोपीय देशों के अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में कुछ समय लगा तथा इस बीच वहाँ अमेरिकी अनाज की माँग बराबर बनी रही। अतः युद्धोत्तर काल में भी अमेरिकी कृषि का विकास जारी रहा।

युद्धोत्तर काल में अमेरिकी कृषि को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे कृषि आय की अस्थिरता, कृषि